प्रेस विज्ञप्ति
13/06/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर जोनल कार्यालय ने जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के एक जूनियर इंजीनियर, तारिक अहमद गनी के खिलाफ धन शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत (इलेक्ट्रिक) जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के श्रीनगर और गांदरबल स्थित 07 विद्‍युत ठेकेदारों, मो. शफी पर्रे, वजाहत अहमद भट, हिलाल अहमद खान, फारूक अहमद डार, वाहिद फैयाज जरगर, राजा बिलाल अहमद और रियाज अहमद कंठ, के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने एसपीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के जेई (इलेक्ट्रिक) तारिक अहमद गनी द्‍वारा ठेकेदारों से कमीशन के माध्यम से अवैध परितोषण प्राप्त करने के आरोपों के संबंध में एसीबी, श्रीनगर द्‍वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि तारिक अहमद गनी, जेई (इलेक्ट्रिक) ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके उनके और उनकी पत्नी के बैंक खातों में 2.94 करोड़ रुपये की अवैध परितोषण प्राप्त की, जिसे अंततः विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के रूप में जमा किया गया। जांच के दौरान आरोपी तारिक अहमद गनी और उनकी पत्नी के नाम पर 15 चल/अचल संपत्तियां कुर्क की गईं।

इसके अलावा, ईडी ने धन शोधन के अपराध में शामिल होने के लिए तारिक अहमद गनी, उनकी पत्नी और जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के 08 ठेकेदारों सहित 10 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ 19.04.2023 को अपनी पहली अभियोजन शिकायत दर्ज की।